

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

पंजीकृत डाक

फाइल सं 7(1) Farm Contract/13-14/Adm.V

दिनांक: 24/06/2013

प्रेषिति:

मैसर्स नेशनल प्रोटेक्टिव सिक्युरिटी सर्विसेज,
20, मधुबन,
अम्बाजारी लेआउट,
नागपुर-440 010

26 JUN 2013

विषय: काजरी जोधपुर में फार्म/तकनीकी/अन्य कार्य वार्षिक रेट कन्ट्रैक्ट सविदा के आधार पर कराने हेतु
सन्दर्भ: आपकी खुली निविदा संख्या दिनांक 18/06/2013

प्रिय महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी संदर्भित निविदा के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि Annexure-I में दर्शाए गए कार्यों के सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रस्तुत दरे जो कि संबंधित कार्य के समक्ष दी गई है, इस संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए संबंधित कार्यों हेतु आपकी दरों को प्रारम्भिक तौर पर 01 जुलाई 2013 से 30 जून 2014 तक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	एक्टिविटी	कार्य विवरण	इकाई	दर (रुपया में)
1	2	3	4	5
1.		Annexure-I के अनुसार		

ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को कार्य के दौरान निम्नलिखित शर्तों की पालना व पूर्ति करनी होगी:-

1. ठेकेदार फर्म/कम्पनी इस पत्र की प्राप्ति के 7 दिन की अवधि अन्तर्गत रुपये 500/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प गैर पर निर्धारित प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) में लिखित अनुबन्ध प्रस्तुत करें तथा सुरक्षा राशि एक मुश्त रु. 2,00,000/- आई सी.आर.यू.निट. काजरी के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंक गारंटी के रूप में जमा करें।
2. ठेकेदार फर्म/कम्पनी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और श्रम कानून प्रावधानों की पालना करनी होगी।
3. भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा मान्य न्यूनतम मजदूरी एवं सविदा के नियम व शर्तों के अनुसार ठेकेदार फर्म/कम्पनी को श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नोडल अधिकारी के समक्ष करना अनिवार्य होगा। कार्य का बिल नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
4. ठेकेदार फर्म/कम्पनी को श्रम लाइसेंस, ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्रों की मूल प्रतिलिपि सत्यापन के लिए कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
5. ठेकेदार फर्म/कम्पनी को सविदा कार्य में लगाये गये श्रमिकों से सम्बन्धित सभी रिकॉर्ड/इनफॉर्मेशन कौन्टेक्ट लेबर (आर एण्ड ए.) एक्ट 1970/1971 के अनुसार तैयार रखने होंगे। ये सभी रिकॉर्ड/ इनफॉर्मेशन नोडल अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी।
6. ठेकेदार फर्म/कम्पनी द्वारा श्रम अधिनियम के नियमों व शर्तों का उल्लंघन/उपेक्षा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अथवा ठेका सविदा को समाप्ति की कार्यवाही की जा सकती है।
7. ठेकेदार फर्म/कम्पनी के प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार आयकर एवं अन्य लागू करों की कटौती की जायेगी।
8. ठेकेदार फर्म/कम्पनी को दिया गया कार्य नियम समय पर पूरा नहीं होने अथवा कार्य सन्तोषजनक नहीं किये जाने पर नियमानुसार कटौति, कमकनबजपवदद्ध कार्य के बिल से काटी जाएगी।
9. ठेका सविदा कार्य के दौरान सविदा/अनुबंध के नियम व शर्तों की पालना करते हुए कार्य पूर्ण करना होगा।
10. कार्य में लगाये गये श्रमिकों को भुगतान भारत सरकार द्वारा अधिकृत न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होगा तथा उस पर ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवा कर एवं अन्य देय परिलाभ नियमानुसार चुकता करने के चालान प्रस्तुत करने पर ही मासिक बिल मान्य होगा।

संलग्न: उपरोक्त

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (पंचम)

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान वित्त व लेखा अधिकारी, काजरी, जोधपुर सूचनार्थ ।
2. श्रीमान फार्म अधीक्षक, (नोडल अधिकारी), काजरी, जोधपुर:

Kindly maintain a Register of contractor in prescribed form XII under Rule 74 Contract Labour Regulation & Abolition) Act, 1970/1971.

3. श्रीमान अध्यक्ष, विभाग 1/2/3/4/5/6, प्रभारी अधिकारी- कैं.वी.के./पी.सी. रोडेंट कन्ट्रोल/एरिड लेग्यूम/एटिक/पुस्तकालय /ए.के.एम.यू.सेल/आर.सी.एम.एस./अनुरक्षण अनुभाग/सुरक्षा अनुभाग/प्रशासनिक अनुभाग-1/2/3/4/5 लेखा अनुभाग 1/2/3: कृपया कार्य के लिए मांग पत्र (Indent) श्रीमान अध्यक्ष, विभाग- तृतीय एवं फार्म अधीक्षक (नोडल अधिकारी) के माध्यम से भिजवावें।
4. ऑडिट मार्फत बिल (बिल) अनुभाग, काजरी, जोधपुर
5. गार्ड फाईल (प्रशासन-5)
6. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक, काजरी, जोधपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।
7. श्रीमान निजी सचिव, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, काजरी, जोधपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।


सहायक प्रशासकीय अधिकारी (पंचम)

Annexure-I

काजरी जोधपुर में फार्म/ तकनीकी/ अन्य कार्य के लिए निम्नलिखित कार्य मद हेतु मैसर्स नेशनल प्रोटेक्टिव सिक्युरिटी सर्विसेज, 20, मधुबन, अम्बाजारी लेआउट, नागपुर-440 010 की प्रस्तुत दर के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.स. 1	एक्टिविटी सं. 2	कार्य विवरण 3	इकाई 4	दर (रुपयों में) 5
1.	1.	थाले बनाना, सफाई करना, खरपतवार हटाना कुदाली या खुरपी द्वारा निराई/गुड़ाई एवं देखभाल करना। अ. फलों के पौधे (1.5मी. आयुवास) ब. वनोद्य पौधे / सौंदर्यकरण के पौधे (1.0 मी आयुवास) स. हेज	प्रति पौधा प्रति पौधा प्रति मीटर (रनिंग)	18 15 7
2.	2.	गोबरखाद / फर्टिलाइजर डालना एवं मिलाव फसलें/घास इत्यादि	प्रति हेक्टर	2700
3.	3.	सिंचाई करना अ. हेज ब. फसल स. स्प्रिंकलर से सिंचाई द. ट्रिप से सिंचाई करना एवं ट्रिपर सिस्टम की सफाई करना	प्रति मीटर (रनिंग) प्रति हेक्टर प्रति हेक्टर प्रति हेक्टर	5 1700 1300 1900
4.	4.	रसायनों का बुरकाव/छिड़काव करना फसलें (बारानी/बहु वर्षीय)	प्रति हेक्टर	2100
5.	5.	वॉर्डेक्स/पुना का मिक्सर बनाना एवं पौधों पर लगाना अ. छोटे पेड़ (15 सेमी व्यास तक) ब. बड़े पेड़ (15 सेमी से अधिक व्यास)	प्रति 10 पेड़ प्रति 10 पेड़	27 70
6.	6.	पेड़ पौधों की छटाई, कटाई, छागाई, आकार देना, कटे हुए छांगन को इलाई भरना व खाली करना सरकारी ट्रैक्टर द्वारा। I. बेर, आवला व अन्य पेड़ अ. 10 वर्ष तक के पेड़/झाड़ीनुमा पेड़ ब. 10 वर्ष से बड़े पेड़ II. हेज	प्रति पेड़ प्रति पेड़ प्रति रनिंग मीटर	120 300 9
7.	7.	फलों को तोड़ना अ. बेर, आवला, गोदा ब. करीदा स. अनार द. सब्जीया एवं अन्य फसलें घ. अन्य फल	प्रति किलो प्रति किलो प्रति किलो प्रति किलो प्रति किलो	9 9 9 12 12
8.	8.	चिकनी मिट्टी/गोबर खाद आपूर्ति करना। अ. चिकनी मिट्टी ब. गोबर खाद	प्रति ट्राली प्रति ट्राली	3900 3600
9.	10.	खड़के खोदना एवं खाद मिट्टी मिलाकर भरना एवं पोषारोपण करना अ. 1'x1'x1' ब. 2'x2'x2' स. 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर	प्रति खड़का प्रति खड़का प्रति खड़का	21 30 120
10.	11.	खाद मिट्टी का मिक्सर तैयार करना एवं थैलियों व गमलों में भरना एवं बेडों में शिफ्ट करना, बीज पोधा व कटिंग बोना व पानी देना। अ. 1-2 किलो साईज ब. 3-5 किलो साईज स. 6-10 किलो साईज द. 11 किलो से अधिक साईज	प्रति 100 थैली/गमला प्रति 100 थैली/गमला प्रति 100 थैली/गमला प्रति 100 गमला	570 600 750 900
11.	12.	नर्सरी तैयार करना: बेड खोदना, मिट्टी खाद मिश्रण करना जगहरी बनाना, बीज/पोधा बोना पानी देना, बेड में शिफ्ट करना अ. सब्जी/ ओरनामेटल छोटे पौधे ब. पेड़ एवं झाड़ीयों के लिए बेड तैयार करना (1 से 15 फुट गहरी खुदाई) स. पौधों को नर्सरी के अन्दर शिफ्ट करना साथ ही पौधों को पानी, निदान, खाद इत्यादी करना।	प्रति वर्गमीटर प्रति वर्गमीटर प्रति नर्सरी/प्रति माह	27 45 5700

12.	13.	बडिंग एवं ग्राफिटिंग करना	प्रति 100 नग	470
13.	14.	एलोय, कैवटी एवं अन्य पौधों के शकर्स निकालना बेंड तैयार करना एवं बेंड में लगाना (एक बार) एवं पानी व निराई गुड़ाई करना इत्यादि। बेंड (4 मी X 5 मी) साईज	प्रति बेंड प्रति माह	6000
14.	15.	मोगरा व अन्य पौधों की बेंड में मिट्टी ढकाना/ दबाना (5 मी X 8 मी) साईज	प्रति बेंड	75
15.	16.	लॉन की काटिंग करना कटी हुई लॉन घास को हटाना एवं खाइये में डालना सफाई करना	प्रति 100 वर्गमीटर	150
16.	17.	फार्म अपरेशन कार्य सरकारी ट्रैक्टर द्वारा करना, लाईसेंस होल्डर ड्राइवर उपलब्ध करवाना	प्रति दिन	600
17.	18.	खेत की सफाई करना बहुवर्षीय पौधे झाड़ियां जड़ें, मूल, पत्थर कचरा इत्यादि हटाना (सूझ करना)	प्रति हेक्टर	5700
18.	19.	खेत में ले आउट करना, लेवल करना व बण्ड बनाना	प्रति हेक्टर	3900
19.	20.	बुवाई करना		
		अ. सीड ड्रिल द्वारा	प्रति हेक्टर	3600
		ब. कस्टीमेटर द्वारा	प्रति हेक्टर	3200
		स. प्लाटर द्वारा	प्रति हेक्टर	3900
		द. हथ्य द्वारा	प्रति हेक्टर	5700
		य. सब्जी घास व अन्य फसलों की सीडलींग का पौधारोपण करना।	प्रति हेक्टर	3900
20.	21.	विडिया व अन्य पक्षी उड़ाना एवं देखरेख करना	प्रति हेक्टर प्रति माह	14000
21.	22.	अ. थिनिंग (एक बार पौधे छांटना)	प्रति हेक्टर	2500
		ब. रोनिंग	प्रति हेक्टर	2500
22.	23.	खरपतवार निकालना एवं गुड़ाई करना फसल एवं घासों में (एक बार)		
		अ. खुरपी द्वारा	प्रति हेक्टर	12000
		ब. फावड़े या कुदाली द्वारा	प्रति हेक्टर	10000
23.	24.	खड़ी फसल एवं घास में खाद छिड़कना/बेंड प्लेसमेंट (एक बार)	प्रति हेक्टर	3900
24.	25.	प्रायोगिक क्षेत्र/फील्ड के रास्ते बनाना एवं चारों तरफ सफाई करना	प्रति वर्गमीटर	270
25.	26.	खेत एवं रोड साईड की सफाई		
		अ. दागले/ तलवार से काटना	प्रति वर्गमीटर	27
		ब. फावड़ा/ कुदाली से सफाई करना	प्रति वर्गमीटर	27
26.	27.	फील्ड कार्य में मदद करना (मिट्टी व पौधों के नमूने लेना, जड़ें खोदना व साफ करना, नमूने व डेटा के लिये उपकरण ले जाना फसलों की कोसिंग में सहायता करना आदि)	प्रति व्यक्ति/ प्रति माह	8580
27.	28.	फसल कटाई करना एवं थेशिंग करना जिसमें फसल तोड़ना बण्डल बनाना एवं बीज तथा भूसा उठाना ट्रांसपोर्ट भरना एवं खाली करना इत्यादि।	प्रति हेक्टर	
		अ. बाजरा (ट्रैक्टर व थेशर सहित)	प्रति हेक्टर	7500
		ब. ग्वार, मीठ, मूंग, चवला, तिल (ट्रैक्टर व थेशर सहित)	प्रति हेक्टर	9000
		स. जौरा, सरसों, अन्य फसल (ट्रैक्टर व थेशर सहित)	प्रति हेक्टर	7950
		द. सिंगल प्लांट थेशिंग हाथों से	प्रति किलो	15
28.	29.	फसलों के बीज साफ करना, सुखाना, ग्रेडिंग करना पैकिंग करना बोरिया भरना व छीना, उपचारित करना एवं भण्डार में रखना, भण्डारण थेशिंग फल्लार तथा ड्रमों की सफाई करना।		
		अ. 5 किलो तक	प्रति 100 बैग	2100
		ब. 6-10 किलो	प्रति 100 बैग	1800
		स. 11-50 किलो	प्रति 100 बैग	2700
		द. 51 - 100 किलो	प्रति 100 बैग	3000
29.	30.	पैड व घास के बीज इकट्ठा करना, साफ करना सुखाना पैक करना व भण्डार में रखना।		
		अ. अजून घास	प्रति किलो	210
		ब. धामन घास	प्रति किलो	210
		स. सेवन घास	प्रति किलो	250
		द. अन्य घास	प्रति किलो	230
		य. पैड व झाड़ियां (बीज निकालने सहित)	प्रति किलो	230

30	31	हरा / सूखा घारा / घास काटना, बन्डल बनाना खेत से टोली में भरना व निश्चित जगह पर खाली करना		
		अ हाथ द्वारा	प्रति हैक्टर	6600
		ब ट्रैक्टर द्वारा	प्रति हैक्टर	6000
31	32	खजूर के गुच्छों पर जाली चढ़ाना एवं / गुच्छा फलों को तोड़ना	प्रति 10 पीघा	570
32	33	पशु आहार बट्टिका, मल्टीन्यूट्रिएंट मिक्सर तैयार करना, मेश फीड तैयार करना, घारा बट्टिका बनाना, कार्य स्थल की सफाई, पशु प्रायोजिंग डेटा लेने में मदद करना आदि।	प्रति 100 किलो	690
33	34	शीप पैन के बाड़ों की सफाई, बकरियों की दुआरी एवं बच्चों को दूध पिलाना, चराई करवाना, भेड़ व बकरियों को दाना व घारा खिलाना, पशु स्वास्थ्य व रखरखाव में मदद करना आदि	50 व्ययस्क भेड़ / बकरी प्रति श्रमिक / प्रतिमाह	8400
34	35	बड़े जानवरों की बाड़े की सफाई करना, दूध दूहना एवं बच्चों को दूध पिलाना, चराई व पानी पिलाना, तौलना, पशु स्वास्थ्य व रखरखाव में मदद करना, जानवरों को दाना व घारा खिलाना, गाय के बच्चा देने पर देखभाल करना आदि	20 जानवर प्रति व्यक्ति / प्रति माह	9039
35	36	प्रायोगिक पशुओं गाय, भेड़, बकरी के लिए पशु पोषण सम्बन्धी कार्य करना, प्रति दिन चराना, दुहना, गोबर, मूत्र व रक्त लेने में मदद करना, प्रयोगशाला में लाकर मदद करना, बाड़े को साफ रखना, साप्ताहिक तौलना आदि	प्रति श्रमिक / प्रति माह	9700
36	37	घारे का कुत्तर करना एवं भण्डार में डालना	प्रति किचटल	570
37	38	विशेष कार्य के लिये श्रमिक सरकारी न्यूनतम दर पर आपूर्ति करना		
		1/ कुशल	प्रति दिन	300
		2/ अर्द्धकुशल	प्रति दिन	268
		3/ अकुशल	प्रति दिन	270
38	39	ऑटो वर्कशॉप में जीप, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चालित यन्त्रों के रखरखाव में मदद करना	2 हैल्वर प्रति माह	15000
39	40	जे.सी.बी. का कार्य (जे.सी.बी. मशीन मय ड्राईवर)	प्रति घण्टा	999

नोट: भारत सरकार द्वारा अधिकृत न्यूनतम दर से कार्य में लगाये गये श्रमिकों को भुगतान करना होगा। ई.पी.एफ. ई.एस.आई. सेवा कर एवं अन्य देय परिलाम नियमानुसार चुकता करने के चालान प्रस्तुत करने पर ही मासिक बिल मान्य होगा।

सहायक प्रशासकीय अधिकारी (पंचम)

